बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 178

कुपोषण से जंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में कहा कि कुपोषण के खिलाफ आंदोलन तेज कर एक बड़ा जनांदोलन खड़ा करने की बारी है। उनकी यह बात सुविचारित है और इसकी गहन आवश्यकता है। तमाम आर्थिक प्रगति, गरीबी में कमी, अतिशय खाद्यान्न उत्पादन और सरकार द्वारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की योजनाओं के बावजूद देश में कुपोषण की समस्या बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की 2019 की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट (2015-16 के आंकड़ों पर आधारित) की बात करें तो देश की आबादी का 38.4 फीसदी हिस्सा भीषण कुपोषण से जूझ रहा है जबकि करीब 35.7 फीसदी बच्चों का वजन सामान्य से कम है और उनमें भी 58.5 फीसदी रक्त की कमी से जूझ रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि कुपोषण की समस्या गरीबों और अमीरों दोनों में विद्यमान हैं। हालांकि अमीरों में इसका स्वरूप मोटापे, पोषण के असंतुलन और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का है।

स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी मौजूदा पहल जिनमें भोजन का अधिकार अधिनियम और ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) आदि शामिल हैं, उनके चलते अल्प पोषण और भूख की समस्या में वांछित कमी नहीं आई है। हालांकि भूख से होने वाली मौतों में कमी आई है जबकि अतीत में यह आम हुआ करती थीं। वृद्धि में धीमापन, कम वजन, मस्तिष्क का अपर्याप्त विकास और कमजोर प्रतिरक्षा जैसी समस्याएं अपूर्ण, असंतुलित और अपर्याप्त पोषण की प्रमुख निशानी हैं। देश में श्रम की कम उत्पादकता के लिए भी काफी हद तक कुपोषण को जिम्मेदार माना जाता है।

सरकार ने मार्च 2018 में राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य बच्चों, बच्चियों और महिलाओं में कम वजन और लंबाई न बढ़ने, अल्प पोषण और रक्ताल्पता जैसी समस्याओं में सालाना 2 से 3 फीसदी की कमी लाना था।

बाद में इस अभियान का नाम बदलकर पोषण अभियान कर दिया गया और 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत बनाने की महती जिम्मेदारी इसे सौंप दी गई। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल कर पाना मुश्किल होगा। पोषण आधारित अधिकांश योजनाएं सीमित तरीके से काम करती हैं और एक समय में एक या कुछ ही लक्ष्यों को हासिल करने पर केंद्रित रहती हैं, बजाय कि एक साथ इसके तमाम स्रोतों पर हमला करने के। इसके अलावा उनके बीच आपस में कोई तालमेल भी नहीं है। उनके लिए आवंटित फंड अक्सर इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। इतना ही नहीं स्कूलों में मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ी में पूरक आहार समेत इनमें से कई योजनाएं केवल भोजन मुहैया कराने पर केंद्रित रहती हैं और उनका पोषण से कोई लेनादेना नहीं होता।

ऐसे में कुपोषण से लड़ने की बुनियादी नीति में बदलाव लाते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर देना चाहिए। इसका एक तरीका है सरकारी योजनाओं के तहत वितरित होने वाले भोजन में विविधता लाना। इसके लिए पोषक अनाज, अंडे, दूध, सोयाबीन उत्पादों को शामिल किया जा सकता है। अब तो गेहूं, चावल, नमक, खाद्य तेल और दूध आदि को लौह, आयोडिन, जिंक, विटामिन ए और डी जैसे जरूरी खनिजों और विटामिनों के माध्यम से बेहतर बनाने के तरीके भी आ चुके हैं। ऐसा करके भी कुपोषण से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ऐसी तकनीक भी आ चुकी हैं जो फसलों में ही जरूरी विटामिन या खनिज शामिल कर सकती हैं। उदाहरण के लिए गोल्डन राइस में ज्यादा विटामिन ए होता है। यह कई देशों में नेत्रहीनता दूर करने में सहायक है। भारत भी कुपोषण खत्म करने के लिए ऐसी नीतियों की मदद ले सकता है।

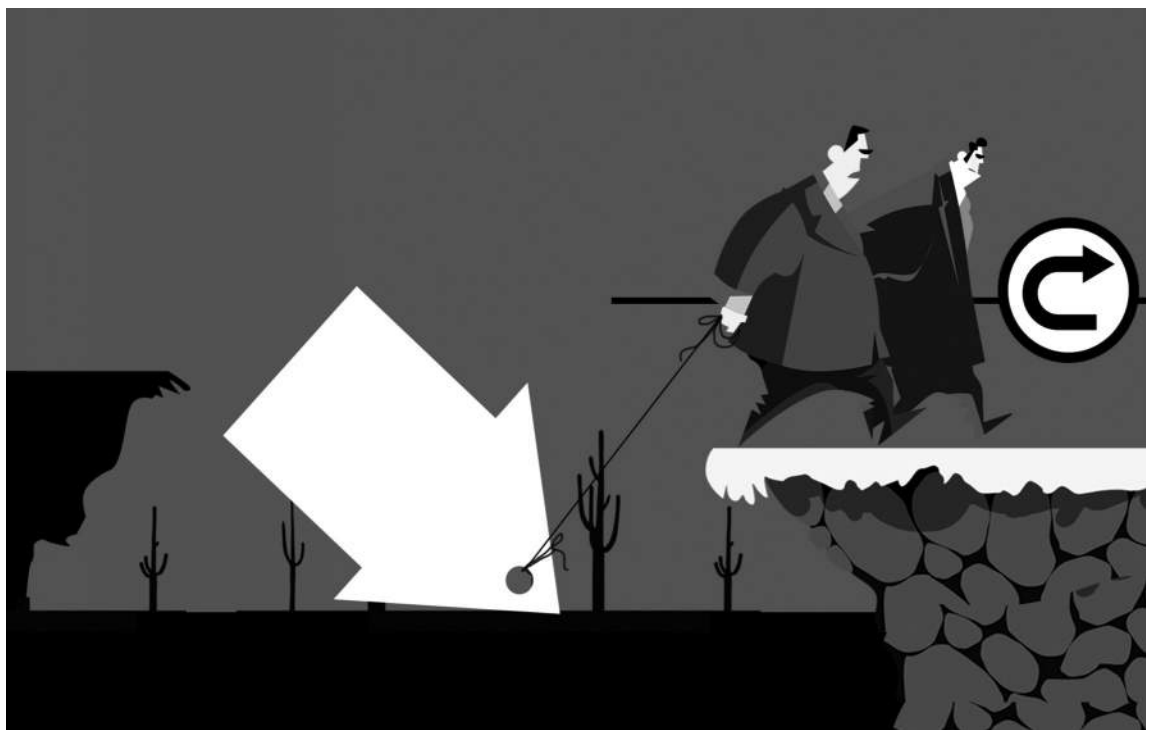

बिनय सिन्हा

नया राजकोषीय ढांचा तैयार करना जरूरी

अब शायद वक्त आ गया है कि हम व्यय के मामले में केंद्र-राज्य परिषद की स्थापना करें और बॉन्ड बाजार को नए सिरे से स्थापित करें। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **नीलकंठ मिश्रा**

मौजूदा आर्थिक मंदी देश के वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र की चुनौतियों को हमारे सामने रख रही है। पहली बात, हम यह समझते हैं कि राजकोषीय घाटे के तय वार्षिक लक्ष्य का अर्थ यही है कि वह पहले से धीमी अर्थव्यवस्था को और धीमा तथा तेज अर्थव्यवस्था को और गतिमान बनाता है। यह नजर भी आने लगा है। जीडीपी के नए आंकड़ों की सबसे चिंतित करने वाली बात यह है कि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 8 फीसदी के साथ 17 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है। इससे पता चलता है कि अतीत के कुछ महीनों में राजस्व कर संग्रह में धीमापन क्यों रहा। इससे यह भी पता चलता है कि सरकारी व्यय को 21 फीसदी की दर से बढ़ना था लेकिन फिलहाल वह 6 फीसदी की दर से विकसित हो रहा है और यह बजट लक्ष्यों से पीछे छूट सकता है। ध्यान रहे कि जून तिमाही में निजी खपत 3.1 फीसदी की दर से, निवेश 4 फीसदी की दर से और सरकारी व्यय 8.8 फीसदी की दर से बढ़ा। कर संग्रह में कमी से सरकारी व्यय में भविष्य में और अधिक धीमापन आएगा।

तयशुदा लक्ष्य पहली पीढ़ी का राजकोषीय नियम है जो पश्चिमी यूरोप में चार दशक पहले अपनाया गया। बाद में अर्थशास्त्रियों ने इसकी कमियों को परखा, खासकर राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कोई अनुमान प्रकट करने की अक्षमता को लेकर। दूसरी पीढ़ी के राजकोषीय नियमों ने मध्यम अवधि के लक्ष्य तय किए और बचाव के प्रावधान किए।

हमारे देश में सन 2016 में जब वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) समीक्षा समिति बनी तो तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि एक नया विचार आया है जो राजकोषीय घाटे के तयशुदा आंकड़ों के बजाय उसके एक दायरे को सही मानता है।

उसने कहा कि मध्यम अवधि में ऋण-जीडीपी लक्ष्य की सहायता से सरकार के लिए मामला थोड़ा लचीला हो सकता है। उसने केंद्र के लिए मध्यम अवधि के लक्ष्य हासिल करने के लिए 2023 तक का समय तय किया है।

वृद्धि से जुड़े बचाव संबंधी प्रावधान में जीडीपी के आधा प्रतिशत को राजकोषीय घाटे के मामले में अतिरिक्त बफर माना गया है। यह तभी उत्प्रेरित होगी जब वास्तविक उत्पादन वृद्धि में गिरावट आएगी और वह पिछली चार तिमाहियों के औसत से करीब 3 फीसदी नीचे जाएगी। पहली तिमाही में 5 फीसदी की वृद्धि, गत वर्ष की पहली तिमाही के 8 फीसदी के स्तर से पूरा 3 फीसदी कम है लेकिन यह बीती चार तिमाहियों की औसत वृद्धि दर से केवल 1.8 फीसदी कम है। जाहिर है सरकार के पास राजकोषीय मोर्चे पर ज्यादा गुंजाइश नहीं है।

बॉन्ड बाजार को स्थिर बनाना भी इससे जुड़ा हुआ है। सरकार को आशंका है कि राजकोषीय विचलन का संकेत मिलते ही बाजार में सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में इजाफा होगा। इससे निजी क्षेत्र की उधार लागत बढ़ेगी। टर्म प्रीमियम अर्थात आरबीआई द्वारा तय रीपो दर और 10 वर्ष के सरकारी बॉन्ड प्रतिफल के बीच का अंतर पहले ही बढ़ा हुआ है। करीब 110 आधार अंक के साथ यह 60 की औसत से बहुत अधिक है।

बाजार पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह राजकोषीय तनाव और सरकार की अतिशय बजटेतर उधारी को दर्शाता है। परंतु हमारी दृष्टि में यह एक घटित हो चुकी घटना को उचित ठहराने के समान है। कुछ ही बॉन्ड बाजार ऐसे हैं जो इतने मामूली राजकोषीय विचलन की दृष्टि से संवेदनशील होंगे। यहां तक कि बाजार केंद्रीय बैंक की निरंतर खरीद से विसंगति में नहीं आए हैं। यदि मांग और आपूर्ति टर्म प्रीमियम में इजाफा कर रहे होते तो इनमें काफी पहले गिरावट आ चुकी होती। आरबीआई की वार्षिक बॉन्ड खरीद एक वर्ष पहले जताए गए तमाम अनुमानों की तुलना में अधिक रही है। हमारी नजर में वृद्धि और मुद्रास्फीति की दरों को लेकर सहमति बनेगी तो यह अपने आप ठीक हो जाएगा। परंतु तयशुदा दरों की व्यवस्था को ठीक करना आवश्यक है।

तीसरा मुद्दा है राजकोषीय कारकों के जरिये वृद्धि प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार पर अत्यधिक निर्भरता। खासतौर पर राजकोषीय घाटे का अनुपात तय होने के बाद विवेकाधीन व्यय की सीमित गुंजाइश के बाद।

करों में कमी का असर राज्यों पर भी पड़ता है। मोटे तौर पर ऐसा इसलिए क्योंकि कुल केंद्रीय करों का 42 फीसदी सीधे राज्यों को जाता है। बहरहाल, कमजोर जीएसटी संग्रह का प्रत्यक्ष असर उतना ज्यादा नहीं रहा है क्योंकि केंद्र सरकार जीएसटी लागू होने के शुरुआती पांच साल तक कर राजस्व में 14 फीसदी की वृद्धि की गारंटी दी है। ऐसे में जीएसटी में कमी का बोझ सरकार उठाएगी और राज्य अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं। जीएसटी के आंकड़ों के मुताबिक जून और जुलाई महीने में राज्यों को जीएसटी में 28,000 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई। पूरे वर्ष में यह राशि 1.7 लाख करोड़ रुपये होगी यानी 1.1 लाख करोड़ रुपये के अनुमाति क्षतिपूर्ति उपकर से अधिक।

यह दोहराना आवश्यक है कि अब राज्य सरकारें मिलकर केंद्र से 90 फीसदी अधिक व्यय करती हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवरॉय ने एक विचार पेश किया है जिसे लागू करने का वक्त आ चुका है। उन्होंने एक संस्था बनाने की बात कही जहां केंद्र और राज्य मिलकर सार्वजनिक व्यय की योजना बनाएं। केंद्र समर्थित योजनाओं की संख्या को देखते हुए उनकी काफी आलोचना की जाती रही है, जबकि केंद्र उन क्षेत्रों में परियोजनाओं की शुरुआत करता है जो संवैधानिक रूप से राज्य सूची में हैं। ग्रामीण आवास और स्वास्थ्य इसके उदाहरण हैं। वह इन योजनाओं के लिए राज्यों से आंशिक अंशदान मांगता है। ऐसा मंच न केवल केंद्र और राज्यों को लंबी अवधि के लक्ष्यों मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कौशल, अथवा सड़क आदि में मदद करता है बल्कि धीमी वृद्धि दर के असर पर यह उपलब्ध राजकोषीय विकल्पों में भी इजाफा करता है। ये विकल्प अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद करते हैं। या कम से कम मंदी के असर को और बुरा होने से बचाते हैं।

संकट के समय में नीतिगत बदलाव की संभावना बढ़ने की एक वजह यह भी है कि ऐसे अवसरों पर हमारी कार्यशैली की अक्षमता, सामान्य दिनों की तुलना में अधिक स्पष्ट होकर सामने आती है। ऐसी अवधि को अवसर मानना चाहिए और इस दौरान ऐसे ढांचागत सुधार करने चाहिए जो अर्थव्यवस्था को वृद्धि के अगले चरण की ओर ले जाएं।

जीएसटी: सभी बिलों का मिलान निरर्थक कवायद

कराधान

सुकुमार मुखोपाध्याय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में भी कर चोरी की गुंजाइश रह जाने का दावा कुछ विश्लेषक करने लगे हैं। उनका कहना है कि सभी करदाताओं का अपने सारे बिलों का मिलान नहीं करने से जीएसटी प्रणाली में चोरी की आशंका पैदा हुई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की वर्ष 2017-18 के बारे में संसद में रखी गई रिपोर्ट के बाद यह बहस तेज हो गई है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 'सभी बिलों के मिलान की व्यवस्था नहीं शुरू हो पाई है। इस अहम कर प्रणाली के व्यापक लाभ के लिए बिलों का मिलान बेहद जरूरी है।' ऐसा नहीं होने से यह कर प्रणाली इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी की चपेट में आ सकती है। सीएजी रिपोर्ट आने के बाद कई विश्लेषकों ने भी कहा है कि बिलों का मिलान जरूरी नहीं होने से फर्जी बिल बनाना एक कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। लेकिन यह दलील पूरी तरह से निरर्थक है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि किसी भी कर की तरह मूल्य-वर्द्धित कर (वैट) भी धोखाधड़ी एवं वंचना का शिकार हो सकता है (माइकल कीन, वैट अटैक्स, आईएमएफ वर्किंग पेपर)।

इनपुट क्रेडिट और रिफंड वैट प्रणाली में धोखाधड़ी का एक अनूठा मौका देता है। खुदरा बिक्री कर और टर्नओवर कर जैसे दूसरे करों के साथ वंचना के कई दूसरे तरीके भी समान हैं। हालांकि कुछ खास तरह की गड़बड़ियां वैट से अलहदा हैं और वह इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रणाली है। इसके साथ यह भी सच है कि दुनिया भर में कोई भी देश सभी बिलों का मिलान नहीं करता है। यहां तक कि विकसित देशों में भी ऐसा नहीं किया जाता है जबकि उनके पास बेहद परिष्कृत कंप्यूटर प्रणाली मौजूद है। वैट एवं जीएसटी प्रणालियों के अध्ययन के लिए मैंने कई देशों का दौरा किया है और वहां के अधिकारियों से इस बारे में चर्चा भी हुई है। सीधी बात यह है कि यह प्रणाली व्यावहारिक नहीं है। इसी के साथ यह वक्त की बरबादी भी है। इसके कारण इस तरह हैं:

बड़े करदाता चोर नहीं हैं। टाटा, बिड़ला, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, हीरो और इन्फोसिस जैसी कंपनियां कर चोरी नहीं करती हैं। सरकार ने कई कंपनियों को कर अनुपालन प्रमाणपत्र भी दिए हुए हैं। इनमें से कई सीएलडब्ल्यू, सेल, बीएचईएल और बीईएल जैसे सार्वजनिक उपक्रम हैं। ये सभी साथ मिलकर करीब 80 फीसदी कर देते हैं।

यह सुविदित है कि पंजीकृत करदाताओं का केवल 3.67 फीसदी हिस्सा (संख्या में एक लाख से भी कम) कुल कर राजस्व में करीब 79.52 फीसदी योगदान देता है। उनकी सघन लेखा परीक्षण कर पाना आसान भी है। जब कोई लेखा परीक्षण होता है तो फिर बिलों का मिलान क्यों किया जाए? इससे मशीन एवं अधिकारी दोनों ही संदिग्ध कंपनियों और एमएसएमई इकाइयों के बिलों के मिलान के लिए आजाद हो जाएंगे। सरकार गत 26 मई को एक निर्देश जारी कर चुका है जिसमें ऑडिट में जुटे दल समग्र ऑडिट कर सकें। इसमें 40 फीसदी वक्त बड़ी कंपनियों के लेखा परीक्षण के लिए मुकर्रर किया गया है जबकि बाकी समय मझोली एवं छोटी इकाइयों के लिए रखा गया है।

अब कुछ ब्योरे पर गौर करते हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कर चोरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उनका इनपुट एवं आउटपुट तय होता है। अगर 1,000 गियर खरीदे गए हैं तो इसका मतलब है कि 1,000 कारें या दोपहिया वाहन ही बनेंगे। सेवा क्षेत्र में भी सारे लेनदेन खरीदारों के साथ अनुबंध के जरिये संपन्न होते हैं। सेवा क्षेत्र में साबुन या टूथपेस्ट जैसे फुटकर उत्पाद नहीं बेचे जाते हैं। स्टील क्षेत्र भी काफी हद तक कर चोरी से मुक्त है। हालांकि स्क्रैप का इस्तेमाल करने वाले छोटे द्वितीयक क्षेत्र में ऐसी आशंका होती है। लिहाजा उनके लिए सभी बिलों का मिलान किया जाना चाहिए। सरकार के इस निर्देश ने पहले ही यह गणना कर रखी है कि उद्योगों की अलग किस्म के लिए जोखिम अवयव की शिनाख्त किस तरह होनी है?

यह खुफिया संग्रह के आधार काम करने वाली व्यवस्था है जो वंचना-रोधी महानिदेशक की निगरानी में होगी। व्यावहारिक तौर पर वंचना के सभी महत्त्वपूर्ण मामलों का पता वंचना-रोधी निदेशालय ने लगाया है। मसलन, आईटीसी मामला जो लंबे वक्त तक सुर्खियों में छाया रहा। सीएजी रिपोर्ट कहती है कि जीएसटी खुफिया अधिकारियों ने 2018-19 में 11,251 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी वाले 1,620 मामले उजागर किए हैं। उन्होंने 90 संदिग्ध कंपनियों की भी शिनाख्त की है जो 173 अलग-अलग बैंक खातों का संचालन कर रही थीं। सीएजी का मानना है कि इन खुफिया जानकारियों के साथ बिलों का मिलान कर पुष्टि की जानी चाहिए।

निष्कर्ष यह है कि जीएसटी का पूरा डेटाबेस सीएजी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। सीएजी को अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख भी करना चाहिए था कि सरकार इसे नकार रही है। हालांकि कर वंचना के डर को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। यह एक खतरनाक बात है क्योंकि यह नीतिगत निर्णय को विकृत कर देता है। सभी बिलों का मिलान अनावश्यक एवं अव्यावहारिक है।

खुफिया जानकारी आधारित निगरानी, समग्र लेखा परीक्षण और बिलों का मिलान एक साथ किया जाए तो वह सभी बिलों के मिलान की बेरहम व्यवस्था से कहीं अधिक असरदार होगा। आखिर सेल, बीएचईएल, टाटा, इन्फोसिस और हीरो जैसी कंपनियों के सभी बिलों का मिलान क्यों किया जाए? यह निरर्थक कवायद है और सरकार को इस पर रोक लगानी ही चाहिए। केवल चुनिंदा बिलों का ही मिलान किया जाए। एक ताकतवर समाधान अतार्किक है, तर्कसंगत समाधान निकालने की जरूरत है।

(लेखक केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं)

कानाफूसी

विवेकानंद की स्मृति

पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। यह श्रद्धांजलि शिकागो में 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए भाषण की वर्षगांठ के अवसर पर दी गई। बुधवार को मथुरा में दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो अभूतपूर्व भाषण दिया था वह मानव जाति के इतिहास में एक अहम क्षण था। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का संदेश आज के समय में पहले से भी अधिक प्रासंगिक है लेकिन अब 11 सितंबर के हादसे को अधिक याद किया जाता है। यही वह दिन है जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले हुए थे। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया विश्व बंधुत्व का संदेश आज भी प्रासंगिक है।

वंशवाद का मुकाबला?

भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर वंशवादी राजनीति करने का आरोप लगाने का कोई अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देती लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी खुद ऐसे ही आरोप के घेरे में उलझने जा रही है। दरअसल प्रदेश में भाजपा कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है जिसकी कमान प्रदेश के बड़े नेताओं के युवा पुत्रों के हाथ में होगी। जानकारी के अनुसार इस अभियान का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश की पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस के बेटे समर्थ चिटनीस के हाथ में होगी।

आपका पक्ष

नए वाहन कानून से सुधरेंगे हालात

केंद्र सरकार ने हाल ही में मोटर वाहन कानून को संशोधित किया है जो आम भारतीय और वाहन चालकों के हित में है। हालांकि कुछ स्वार्थी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि यह भी जरूरी है कि कानून का अनुपालन कारगर तरीके से सुनिश्चित किया जाए। कई बार देखने में आया है कि पुलिसकर्मी ही नियमों को तोड़ देते हैं। चाहे वह नियमों का उल्लंघन हो या किसी वाहन चालक से रिश्वत के बदले चालान नहीं काटने की कवायद। इससे आम जनता के मन में पुलिसकर्मियों के लिए नकारात्मक छवि बनती है। सरकार ने नए नियमों के तहत जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया है। इसका विरोध करने वालों का तर्क है कि सरकार इसके जरिये आमदनी को बढ़ाना चाहती है लेकिन यह गलत है। किसी भी तरह के जुर्माने को आय के मुख्य स्रोत में शामिल नहीं किया जा सकता। हमे ध्यान रखना होगा कि अधिक रफ्तार से गाड़ी चलाकर

या बिना सीटबेल्ट अथवा शराब पीकर वाहन चलाने से हम न सिर्फ अपने जीवन को संकट में डालते हैं बल्कि अपने परिवार के लिए भी परेशानी खड़ी करते हैं। आम जनता भी कई बार चालान से बचने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करती है। हम सब लोगों के साथ प्रशासन का यह कर्तव्य है कि एकजुट होकर नए नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र बनाया जाए। फिलहाल जुर्माने से बचने के लिए कागजों में सुधार कराने या जरूरी कागजात बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पिछले एक सप्ताह से रोज भारी-भरकम जुर्माने की खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी स्पष्ट कहा था कि इस कानून को लाने का मकसद देश की एक बड़ी समस्या, सड़क हादसों पर काबू पाना और वाहन को नियंत्रित तरीके से चलाने के लिए प्रेरित करना शामिल है। यकीनन नया कानून यातायात की बिगड़ी हालात को सुधारने में अहम कदम साबित हो सकता है।

राजू, गोरखपुर

नया मोटर वाहन कानून आने के बाद भारी-भरकम जुर्माना लगने की खबरें आ रही हैं

बाजार में मांग बढ़ाने से हटेगी मंदी

इस समय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में मंदी का माहौल है। हालांकि हमें ध्यान देना होगा कि आम नागरिक, अर्थात प्रथम उपभोक्ता ही अर्थव्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है और इसके कारण आर्थिक हालात मुख्य रूप से इस पर ही निर्भर करते हैं। जब तक आम आदमी की क्रय शक्ति में इजाफा नहीं होगा, आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक रुख नहीं दिखेगा। इसके चलते मांग में कमी रहेगी और उत्पादन क्षमता पर विपरीत असर पड़ेगा। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार को जमीनी स्तर पर अनेक उपाय करने होंगे। इसमें नौकरियों के अवसर बढ़ाना, आधारभूत विकास कार्यों पर जोर देना, नियमित आय वाले कर्मियों को गृहऋण, व्यक्तिगत कर्ज आदि में छूट देना शामिल है। कपड़ा उद्योग और ऑटो कारोबार को मंदी से उबारने के लिए नए प्रयास करने होंगे। बाजार में निवेशकों के रुख में भी मंदी का असर दिखाई दे रहा है जिसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सारांश यह है कि आमजन को खर्च के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिससे मांग बढ़ाई जा सके।

रमेश चंद बंसल, खंडवा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।